1. प्रतियोगिता उद्घाटन

RAJTEACHERS.IN

खेलकूद प्रतियोगिताओं में उद्घाटन समारोह खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिये एक ऐसी कार्य प्रणाली है, जिसमें आतिथ्य दल (होस्ट टीम) की तरफ से समस्त खिलाड़ियों एवं आमंत्रित अतिथियों के सम्मान में उत्सव आयोजित करके खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जाता है तथा उनमें अनुशासन एवं खेल नियमों के प्रति सम्मान एवं खिलाड़ी वृत्ति की उच्च भावना का संचार किया जाता है। समारोह का सुन्दर आयोजन ही प्रतियोगिता के सुचारू रूप से संचालन का द्योतक है। जिसके द्वारा जन समूह में खेलकूद का प्रसार होता है। अतः इस समारोह को प्रभावशाली बनाने के लिये आतिथ्य दल अथवा प्रतियोगिता व्यवस्थापकों को अधोलिखित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखते हुए समारोह का आयोजन करना चाहिए-

(1) समारोह स्थल की सफाई एवं स्वच्छता।
(2) जल एवं विद्युत व्यवस्था।
(3) क्रीड़ा स्थल एवं भवन (स्टेडियम) की सजावट।
(4) अभिमुख प्रयाण (सेरिमोनियल परेड) पथ का निर्माण।
(5) अभिमुख प्रयाण की महत्ता।
(6) समारोह प्रारम्भ की तकनीकी कार्य प्रणाली।

1. समारोह स्थल की सफाई एवं स्वच्छता-

समारोह दिवस के एक सप्ताह पूर्व स्थल की सफाई एवं स्वच्छता का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। मैदान की घासफूस, कंकर पत्थर हटाकर गड्ढे आदि ठीक करके पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। क्रीड़ा भवन के कक्ष, बैठने के स्थान, जलगृह, पेशाब घर, सण्डास, स्नान घर आदि की सफाई एवं स्वच्छता भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जहाँ सफेदी, रंग-रोगन तथा लिखावट जो होना है, वह भी करा दिया जाता है।

2. विद्युत एवं जल व्यवस्था-

विद्युत एवं जल की व्यवस्था खेलकूद के कार्यक्रमों को देखते हुए की जाती है। लाउडस्पीकर का होना कार्यक्रम की सफलता के लिए अति आवश्यक है। आमंत्रित अतिथिगण, दर्शक एवं खिलाड़ियों के लिये क्रीड़ा स्थल अथवा भवन के चारों ओर सुविधा की दृष्टि से कई स्थानों पर पीने के पानी का प्रावधान रखना चाहिए।

3. क्रीड़ा भवन एवं समारोह स्थल की सजावट-

उद्घाटन समारोह के दो दिन पूर्व क्रीड़ा भवन एवं स्थल की सजावट का कार्य योजनाबद्ध होना चाहिये। यह एक परिश्रम का कार्य है जिसमें इस कार्य क्षेत्र में कोई सीमा नहीं है फिर भी प्रतियोगिता का प्रारम्भ सुन्दर एवं आकर्षक बनाने के लिये स्वागत द्वार, आमंत्रित अतिथियों के बैठने का स्थान, सलामी मंच एवं मंच तक पहुँचने का मार्ग, शपथ ग्रहण स्थल (रोसट्रम), ज्योतिकलश, विजयी स्तम्भ (विक्ट्रिस्टेण्ड), ध्वज-स्थल, क्रीड़ा स्थल के चारों ओर का बाहरी भाग धावन पथ (ट्रेक), अभिमुख प्रयाण स्थल का उचित निर्माण तथा उसकी सजावट सम्मिलित है।

उपरोक्त बिन्दुओं के निर्माण एवं सजावट को ध्यान में रखते हुए सामग्री की सूची बना लेनी चाहिए तथा व्यवस्थापकों को प्रतियोगिता के स्तर पर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, साधन सुविधाओं को जुटाकर समारोह को अधिक से अधिक उत्साहवर्द्धक एवं आकर्षक बनाना चाहिये। इस कार्य में विशेष तकनीकी अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग लेना अति-आवश्यक है।

4. अभिमुख प्रयाण पथ का निर्माण–

खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत अभिमुख प्रयाण (सेरिमोनियल परेड) का आयोजन करके किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी कार्य प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक दल अपने निश्चित पथ पर चलकर वृन्द वाद्य (बैण्ड) की धुन पर कदम से कदम मिलाता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता है तथा मुख्य अतिथि को अपना ध्वज झुकाकर एवं दाहिने देखकर सलामी देता हुआ अपने निश्चित स्थान पर पहुंच कर एक विशेष व्यवस्था में खड़ा हो जाता है।

अत: इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये प्रयाण-पथ एक दिन पूर्व चिह्नित कर देना चाहिये तथा भाग लेने वाले दलों के प्रभारी के साथ प्रत्येक दल से ध्वज वाहक सहित कम से कम 10 खिलाड़ी बुलाकर पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करा देना चाहिये। इस समय नाम पट्टवाहकों (प्ले कार्ड बियरर्स) को दल के नाम पट्ट (प्ले कार्ड) सहित उपस्थित होना भी आवश्यक है।

RAJTEACHERS.IN

5. अभिमुख प्रयाण (मार्च पास्ट) की महत्ता–

खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन एवं समापन समारोह के समय खिलाड़ी दलों द्वारा मार्च पास्ट का सुन्दर प्रदर्शन किया जाना चाहिये। इसके लिये उचित पूर्वाभ्यास का होना अत्यन्त आवश्यक है। मार्च पास्ट के द्वारा ही खिलाड़ियों के अनुशासन एवं आदेश पालन का प्रदर्शन दर्शक गणों के सम्मुख होता है तथा उनके विद्यालयों की शान शौकत ऊँची होती है। इसीलिये विभाग ने मार्च पास्ट प्रतियोगिता प्रारम्भ कर दी है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी का अपने दल के साथ भाग लेना अनिवार्य रखा गया है। अत: मार्च पास्ट का स्तर अच्छा होना चाहिये।

समारोह प्रारम्भ की कार्यप्रणाली–

खेलकूद प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह को उचित विधि से आयोजित करने के लिए अधोलिखित बिन्दुओं के क्रम में कार्यक्रम को आरम्भ किया जाता है।

1. दर्शकों एवं खिलाड़ियों द्वारा स्थान ग्रहण।
2. मुख्य अतिथि का आगमन एवं स्वागत।
3. समिति के सदस्यों तथा दल नायकों से मुख्य अतिथि का परिचय।
4. मुख्य अतिथि का सलामी मंच पर आगमन।
5. खिलाड़ियों द्वारा अभिमुख प्रयाण।
6. संचालन सचिव द्वारा संक्षिप्त प्रतियोगिता-परिचय तथा उद्घाटन हेतु निवेदन।
7. मुख्य अतिथि द्वारा आशीर्वाद तथा उद्घाटन घोषणा।
8. बिगुल धुन के साथ ध्वजारोहण।
9. खिलाड़ियों द्वारा शपथ ग्रहण।

10. मुख्य अतिथि द्वारा स्थान ग्रहण।
11. अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन।
12. प्रतियोगियों का क्रीड़ास्थल से बाहर प्रयाण।
13. व्यायाम-प्रदर्शन, लोक नृत्य तथा प्रदर्शन का आयोजन। (यदि सम्भव हो)
14. कार्यक्रम की घोषणा।
15. धन्यवाद एवं प्रस्थान।

उद्घाटन-घोषणा

मैं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ..... वीं ..... स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारम्भ की घोषणा करता हूँ।

शपथ-ग्रहण

.....वीं.....स्तर विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, हम समस्त प्रतियोगी, प्रतिज्ञा करते हैं, कि हम इस प्रतियोगिता में, निर्धारित नियमों एवं विधियों का, निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, क्रीड़ा तथा देश के गौरव के लिए, सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे।

1. उद्घाटन समारोह का संक्षिप्त योजना-विवरण

(क) दल एकत्रण–

समस्त आमंत्रित अतिथि एवं दर्शक पूर्व नियोजित स्थानों पर पहुँचकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे तथा समस्त प्रतियोगियों को अपने-अपने दल में अपने नाम पट्टवाहकों (प्लेकार्ड बियरर्स) के पीछे क्रीड़ा स्थल के बाहर (हार्बर एरिया) यदि ऐसा सम्भव न हो तो तीन फाइलों में क्रीड़ा स्थल पर मंच के सामने अकारात्मक क्रम में एकत्र कर दिया जावेगा। प्रत्येक दल का ध्वजवाहक (फ्लेग वियरर) अपने दल के नाम पट्टवाहक के 3 मीटर पीछे रहेगा तथा उसके पीछे कदानुसार बालिकायें एवं बालक क्रमशः खड़े रहेंगे।

स्वागत समिति के अध्यक्ष, संचालन सचिव तथा विभिन्न दलों के दलनायक आदि (केन्टिनजेन्ट लीडर्स या जनरल मैनेजरस) मुख्य अतिथि से स्वागत एवं परिचय हेतु मुख्य द्वार के दोनों ओर पुष्पमालायें लिये उचित समय पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जायेंगे।

मैदान के मध्य में अभिमुख प्रयाण अधिकारी (मास्टर आफ सेरोमनी) वृन्दवाद्य (बैण्ड) एवं बिगुलर्स अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रत्येक दल का अपना-अपना ध्वज रक्षक ध्वजारोहण के लिए मैदान में लगे अपने-अपने ध्वज खम्भे (स्तम्भ) के पास स्थान ग्रहण करेंगे। विवरण प्रस्तुतकर्ता (कोमेनटेटर) आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने के लिये अपना स्थान ग्रहण करेगा। फोटोग्राफर एवं पत्र सम्पादक समारोह के प्रसार हेतु उपस्थित रहने चाहिये।

(ख) स्वागत एवं परिचय–

मुख्य द्वार पर मुख्य अतिथि के कार्यक्रम के अनुसार ठीक समय पर पहुँचते ही अध्यक्ष एवं संचालन सचिव आदि के द्वारा पुष्पमालायें पहनाकर स्वागत किया जायेगा तथा वृन्द-वाद्य की मधुर स्वागत

धुन वातावरण को सुशोभित करने लगेगी।

प्रतियोगिता के अध्यक्ष एवं संचालन सचिव दोनों ओर स्वागत हेतु पंक्तियों में खड़े दल नायकों एवं प्रबन्धकों से मुख्य अतिथि का स्वागत एवं परिचय कराते हुए उन्हें सलामी मंच (सेल्यूटिंग डायस) की ओर ले जायेंगे।

(ग) सलामी-मंच पर आगमन–

मुख्य अतिथि समस्त दलों की ओर से सामान्य अभिवादन (जनरल सेल्यूट) लेने हेतु केवल अध्यक्ष एवं संचालन सचिव के साथ सलामी मंच पर पहुँच जायेंगे।

(घ) अभिवादन एवं अभिमुख प्रयाण–

अभिमुख प्रयाण अधिकारी के अभिवादन आदेश देते ही बिगुल वादक सलामी धुन के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। अभिमुख प्रयाण अधिकारी सलामी देगा।

इसके तुरन्त बाद ही अभिमुख प्रयाण (मार्च पास्ट) का आदेश दिया जावेगा तथा समस्त खिलाड़ी दल वृन्द-वाद्य की मार्च धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के पास से गुजर कर सलामी देने हेतु चल पड़ेंगे। सबसे आगे सुन्दर पोशाकों में अभिमुख प्रयाण अधिकारी तत्पश्चात् अकारात्मक क्रम में समस्त दल अन्त में अतिथेय दल एवं वृन्द-वाद्य की धुन पर मार्च पास्ट करते हुए मंच के सामने पूर्व नियोजित एवं निश्चित स्थानों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रत्येक दल अपना ध्वज दाहिनी ओर झुकाकर एवं दाहिने देख करके मुख्य अतिथि को सलामी मंच के सामने लगी संकेत पताका के पास पहुंचते ही सलामी देगा।

(च) प्रतियोगिता परिचय एवं उद्घाटन-प्रार्थना–

खिलाड़ियों द्वारा अभिवादन एवं अभिमुख प्रयाण के पश्चात संचालन सचिव संक्षिप्त में प्रतियोगिता परिचय पढ़ेगा तथा अन्त में मुख्य अतिथि से प्रतियोगिता उद्घाटन का निवेदन करेगा। इस समय संचालन सचिव के पास प्रतियोगिता उद्घाटन घोषणा-पत्र का कार्ड रहना चाहिये जो उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि को दिया जावेगा।

आशीर्वाद एवं शुभारम्भ घोषणा–

मुख्य अतिथि अपने संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर प्रतियोगिता के शुभारम्भ की घोषणा करेगा।

> "मैं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ..... वीं ..... स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारम्भ की घोषणा करता हूँ।

ध्वजारोहण–

उद्घाटन घोषणा होते ही बिगुलर्स की धुन पर मुख्य प्रतियोगिता ध्वज के साथ-साथ समस्त दलों के रंग-बिरंगे ध्वज धीरे-धीरे बढ़कर ध्वज स्तम्भों के शिखर पर फहराने लगेंगे।

समस्त जनसमूह की करतल ध्वनि से वायुमण्डल गूंज उठेगा। आकाश में मैत्री सद्भाव एवं शान्ति के प्रतीक सफेद कपोत छोड़े जावेंगे। गैस के रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाये जायेंगे तथा पटाखों की आवाज से वातावरण गूंज उठेगा।

समस्त दर्शक एवं जनसमूह शान्ति बनाये रखते हुए सावधान की स्थिति में अपने स्थान पर खड़े हो जाने चाहिएं।

शपथ ग्रहण–

उपरोक्त क्रिया पूर्ण होते ही अभिमुख प्रयाण अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होने पर समस्त ध्वजवाहक ध्वज लिए हुए शपथ लेने के लिए (रोसट्रम सेक्टर) के बाहर अपने नाम पट्ट के पीछे पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़े हो जायेंगे।

आतिथेय दल का कप्तान ध्वज रक्षक दल के हाथ में पकड़े प्रतियोगिता-ध्वज का नीचे वाला कोना अपने बांयें हाथ से पकड़कर तथा दाहिना हाथ 45 डिग्री के कोण पर सामने सीधा उठाकर शपथ पढ़ेगा तथा समस्त दलों के ध्वज वाहक अपना ध्वज झुका देंगे तथा समस्त खिलाड़ी सावधान खड़े रहेंगे।

इस समय शपथ-पत्र (ओथ कार्ड) शपथ-स्थान (रोसट्रम) के अन्दर ठीक से लगा होना चाहिये। मुख्य प्रतियोगिता ध्वज को ध्वज रक्षक के बांयी तरफ लिये खड़ा रहेगा।

मुख्य अतिथि द्वारा स्थान ग्रहण–

प्रतियोगिता सचिव द्वारा मुख्य अतिथि को उनके बैठने के स्थान पर ले जाया जायेगा वहाँ वे अन्य आमंत्रित अतिथियों से परिचय प्राप्त करेंगे।

आभार प्रदर्शन–

प्रतियोगिता समिति के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के पधारने का आभार प्रदर्शित करेंगे। खिलाड़ियों द्वारा क्रीड़ांगण से बाहर प्रयाण–

आभार प्रदर्शित होने के पश्चात् समस्त दल क्रीड़ा स्थल को रिक्त करने के लिये अभिमुख प्रयाण अधिकारी के आदेशानुसार योजनाबद्ध तरीके से दो दिशा में बंटकर अपने-अपने बैठने के स्थानों पर चले जायेंगे।

प्रतियोगिता प्रारम्भ अथवा व्यायाम-प्रदर्शन–

यदि सम्भव हो सके तो क्रीड़ास्थल रिक्त होते ही अतिथियों एवं दर्शकों के सम्मान एवं मनोरंजन हेतु छात्र-छात्राओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शनों, सामूहिक लोक नृत्य तथा प्रदर्शनों आदि का आयोजन किया जा सकता है अथवा प्रतियोगिता प्रारम्भ करनी चाहिये।

कार्यक्रम की घोषणा–

खेलकूद प्रतियोगिताओं का विवरण जन समूह के समक्ष सुना दिया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में दर्शक गण खेल कार्यक्रम देखने पहुंच सके।

धन्यवाद एवं प्रस्थान–

धन्यवाद के दो शब्दों के साथ उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त होना चाहिए तथा वृन्द-वाद्य की मधुर धुनें जारी रहेंगी। समस्त प्रतियोगी अपने निवास स्थलों की ओर चले जावेंगे। ध्वजरक्षक दल समस्त दलों के ध्वज वाहकों से ध्वज तथा प्ले कार्डस रोसट्रम पर एकत्र करके उसको जाँच करके समापन समारोह के लिये सुरक्षित रखेगा।

वृन्द-वाद्य धुनें–

1. स्वागत धुन (वृन्द-वाद्य द्वारा मुख्य द्वार से सलामी मंच पर पहुँचने तक)
2. जनरल सेल्युट अथवा अभिवादन (बिगुलर्स द्वारा)
3. प्रयाण धुन (वृन्द-वाद्य द्वारा)
4. ध्वजारोहण धुन (बिगुलर्स द्वारा)
5. प्रस्थान (सुगम संगीत वृन्द-वाद्य द्वारा)

2. प्रतियोगिता समापन समारोह

प्रतियोगिता उद्घाटन की भाँति समापन समारोह कार्यक्रम भी जोश, उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि द्वारा विजयी खिलाड़ियों का सम्मान उन्हें हार मालायें पहनाकर तथा पदक एवं प्रमाण-पत्र देकर किया जाता है तथा अन्य समस्त खिलाड़ियों के लिये उनके दलनायकों को मंच पर बुलाकर सोविनियर प्रमाण-पत्र सौंप दिये जाते हैं। इस कार्यक्रम को भी अधोलिखित बिन्दुओं के आधार पर योजनाबद्ध प्रारम्भ करना चाहिए-

(1) दर्शकों एवं आमंत्रित अतिथियों का स्थान ग्रहण

(2) मुख्य अतिथि का स्वागत, परिचय एवं आसन ग्रहण

(3) खेल अथवा स्पोर्ट्स कार्यक्रम का प्रारम्भ

(4) खिलाड़ियों का क्रीड़ा स्थल पर एकत्रण

(5) मुख्य अतिथि का सलामी मंच पर आगमन

(6) खिलाड़ियों द्वारा सामूहिक अभिमुख प्रयाण

(7) प्रतियोगिता प्रतिवेदन

(8) आशीर्वाद तथा पारितोषिक वितरण

(9) आभार प्रदर्शन

(10) प्रतियोगिता समापन घोषणा

(11) ध्वजावतरण

(12) ध्वजरक्षक दल द्वारा ध्वज समर्पण

(13) धन्यवाद

(14) वृन्द-वाद्य द्वारा राष्ट्रीय धुन प्रारम्भ

(15) विसर्जन एवं प्रस्थान

समापन घोषणा

"मैं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित .....वीं .....स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करता हूँ।"

मुख्य अतिथि द्वारा सचिव को ध्वज समर्पण-

"मैं विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का यह ध्वज सुरक्षित रखने तथा इसे आगामी प्रतियोगिता के स्थल तक पहुँचाने हेतु प्रतियोगिता सचिव को सौंपता हूँ।"

समापन समारोह का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर आधारित कार्यक्रम मुख्यतया उद्घाटन समारोह की भाँति ही आयोजित किया जायेगा। अत: केवल बिन्दु संख्या 6, 8, 11, 12 का उल्लेख करना यहाँ उचित होगा।

सामूहिक अभिमुख प्रयाण–

समस्त खिलाड़ी क्रीड़ांगण में अथवा बाहर किसी एक स्थान पर एकत्रित रहेंगे। समस्त दलों के ध्वज वाहक, समस्त नाम पट्ट वाहक, समस्त छात्रायें एवं छात्र खिलाड़ी क्रमश: 6-6 में पंक्तिबद्ध एक ही वृहद दल के रूप में मुख्य ध्वज रक्षक के पीछे खड़े रहेंगे। अभिमुख प्रयाण अधिकारी के आदेशानुसार मार्च पास्ट प्रारम्भ होने पर बैण्ड की मार्चिंग धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के आगे से मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजरेंगे तथा निर्धारित स्थान पर जाकर मंच के सामने स्थान ग्रहण करेंगे। मंच के सामने समस्त ध्वज वाहक बराबर दो भागों में मुख्य प्रतियोगिता ध्वज स्तम्भ एवं मंच के मध्य ध्वज मार्ग के दोनों ओर खड़े हो जायेंगे तथा नाम पट्ट वाहक भी उनके पास ही खड़े रहेंगे। मार्ग के दोनों ओर एक तरफ छात्रायें तथा दूसरी ओर छात्र-खिलाड़ी सम्मिलित रूप में अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

पारितोषिक-वितरण

व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता खिलाड़ियों को तथा दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता दलों के कैप्टिन के साथ पूरी टीम को विजयी स्तम्भ (विक्ट्री स्टेण्ड) पर पारितोषिक हेतु बुलाकर मुख्य अतिथि द्वारा पदक एवं प्रमाण-पत्र दिलवाकर खिलाड़ियों का अभिवादन किया जावेगा।

ध्वजावतरण

समापन घोषणा के होने पर बिगुलर्स की धुन पर प्रतियोगिता ध्वज के साथ-साथ समस्त दलों के स्तम्भों पर फहराते हुए ध्वज पूर्व नियोजित सम्बन्धित ध्वज रक्षकों द्वारा समस्त ध्वज धीरे-धीरे अवरोहण किये जावेंगे।

सम्बन्धित दलों के ध्वज सुरक्षा का दायित्व उनके द्वारा नियुक्त ध्वज रक्षकों का होगा। अत: सम्बन्धित दल नायकों के किसी खिलाड़ी को इसका उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिये जिससे ध्वजारोहण एवं अवतरण के समय कोई कठिनाई नहीं हो।

ध्वज-रक्षक दल द्वारा प्रतियोगिता ध्वज समर्पण

मुख्य ध्वज का समर्पण, करने हेतु ध्वज रक्षक दल के 6 छात्रों द्वारा उचित रीति से बैण्ड की धुन पर धीमी चाल (स्लो मार्च) में मुख्य अतिथि को अर्पित करने हेतु ध्वज स्तम्भ तक ले जाया जायेगा। अन्य समस्त दलों के ध्वजवाहक 40 फुट चौड़े ध्वज मार्ग के दोनों ओर अपने ध्वज झुकायें आमने-सामने मुंह किये खड़े रहेंगे तथा प्रतियोगिता ध्वज के सामने से गुजरने पर ध्वज दण्ड से उनके द्वारा अपने ध्वजों को लपेट लिया जावेगा एवं सुरक्षित रख लिया जावेगा।

प्रतियोगिता ध्वज सलामी मंच पर पहुँचने पर ध्वज रक्षक दल द्वारा उसकी तह कर ली जावेगी तथा अभिमुख प्रयाण अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि को अर्पण किया जावेगा। मुख्य अतिथि प्रतियोगिता ध्वज के सुरक्षा घोषणा के साथ अगले वर्ष की प्रतियोगिता के लिये प्रतियोगिता सचिव को सौंप देगा।

अन्त में धन्यवाद के साथ राष्ट्रीय धुन पर समस्त खिलाड़ी विसर्जित हो जावेंगे।

RAJTEACHERS.IN

3. प्रतियोगिता में व्यय के मुख्य मद

1. प्रतियोगिता के लिए पारितोषिक एवं प्रमाण-पत्र।
2. क्रीड़ांगण सुधार।
3. प्रतियोगिता के लिये आश्यक साज-सामान एवं उपकरण।
4. खेलकूद अधिकारियों को कपड़े की बाजू पट्टियाँ व खिलाड़ियों के नम्बर।
5. सदस्यों एवं अतिथियों के लिए फ्लावर बैज।
6. बिजली व पानी।
7. यातायात।
8. मनोरंजन।
9. सजावट।
10. आमंत्रण पत्र एवं विवरण पुस्तिका।
11. निर्णायकों एवं स्वयंसेवकों को जलपान।

विवरण पुस्तिका स्वावलम्बी होनी चाहिये यानि इसके लिये धन को व्यवस्था यथा सम्भव, स्थानीय स्त्रोतों, जैसे विज्ञापन आदि द्वारा ही की जानी चाहिए एवं आकर्षक बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए।

4. खेलकूद-प्रतियोगिता विभागीय नियम व आयोजन

➲ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं लोंग कम नोक आउट प्रणाली एवं जिला/इकाई स्तरीय प्रतियोगिताएं नाक आउट प्रणाली द्वारा आयोजित की जावेगी। किन्तु बैडमिन्टन, टेबल टेनिस व क्रिकेट-खेलों की प्रतियोगिताएँ नाक आउट प्रणाली से आयोजित होगी। जूडो, कुश्ती एवं जिम्नास्टिक विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत आयोजित होगी।

➲ जिला इकाई स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के समस्त राजकीय/मान्यता/सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों का भाग लेना वांछनीय है।

➲ ऐसे छात्र-छात्राएँ जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हैं, वे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 5वीं कक्षा तक के छात्र-छात्रा प्राथमिक विद्यालयों की छात्र-छात्रा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं किन्तु दोनों स्तरों पर आयु सीमा का उल्लंघन न हो तथा एक छात्र/छात्रा एक स्तर में किसी एक ही स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे।

➲ जो छात्राएँ छात्र विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वे छात्रा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकती हैं।

➲ प्राथमिक स्तर पर जिला स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित होगी।

➲ प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व निर्णायकों के लिए एक क्लीनिक का आयोजन किया जावे, जिसमें विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा मान्य नियम (विभागीय संशोधन सहित) विचार-विमर्श कर निर्णय में एकरूपता लाई जावे।

➲ नियमों के उल्लंघन सम्बन्धित समस्त विवाद-प्रतिवाद समिति द्वारा निपटाए जावेंगे। ..... व्यक्तिगत इन्वेन्ट्स में 15 मिनिट के अन्दर 50/- शुल्क के साथ मैदान प्रभारी, खेल संयोजक प्रतियोगिता संचालक सचिव के पास पहुंचा देवें। आपत्ति पत्र पर सम्बन्धित खेल के विधिवत नियुक्त प्रभारी अध्यापक दलनायक के हस्ताक्षर ही मान्य होंगे।

➲ खेल मैदान व उपकरणों के बारे में खेल प्रारम्भ होने के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

➲ आपत्ति के पूर्व की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

➲ खेल के मैदान पर तथा उसके बाहर समस्त प्रतियोगिताओं के दौरान पूर्ण अनुशासित रहना, प्रत्येक खिलाड़ी हेतु अनिवार्य है। हॉकी दल के खेल मैदान पर जाते समय व खेल समाप्ति पर लौटते हुए हॉकी का बण्डल बांधकर लाना व ले जाना अनिवार्य है। इस नियम की कठोरता से पालना हो, खेल के समय खेलने वाले दल या दर्शक दल के साथ प्रभारी दल नायक का उपस्थित होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी/प्रभारी/दल नायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

➲ प्रतियोगिता नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी दल को प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा कुछ वर्षों के लिए सम्बन्धित खिलाड़ी/विद्यालय/जिला को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

➲ समस्त प्रतियोगिताओं में समय की पाबन्दी अनिवार्य है। दलों को खेल मैदान पर निर्धारित समय के 15 मिनिट पूर्व पहुंचना अनिवार्य है। समय पर न पहुंचने पर उन्हें खेलने से वंचित किया जा सकता है। प्रभारी/दल नायक का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व होगा अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

➲ विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कतिपय विद्यालय भाग लेते हैं और लेना चाहते हैं को ऐसी शर्त पर अनुज्ञा दी जा सकती है कि उक्त संस्था प्रधान उनकी संस्था के खिलाड़ियों का राज्य, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने के पश्चात शिक्षण शिविर एवं सभी प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से भाग लेने हेतु किसी भी स्तर की प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को अण्डर टेकिंग देवें कि यह खिलाड़ी उक्त स्तर की प्रतियोगिता एवं शिविरों में भाग लेंगे। यही नियम राज्य में सभी मान्यता/सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिये अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

➲ प्रतियोगी की योग्य आयु 31 दिसम्बर आधार तिथि मानकर निकाली जाये।

➲ छात्र/छात्रा खिलाड़ियों की उपस्थिति सामान्य विषय-कक्षा एवं खेल-कक्षा दोनों में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। उपस्थिति प्रतिशत प्रतियोगिता योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति दिनांक तक मानी जायेगी।

RAJTEACHERS.IN

➲ राज्य स्तर पर भाग लेने वाले चयनित जिला/इकाई दल के योग्यता प्रमाण-पत्रों पर सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रत्येक खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ डा. द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रतियोगी को प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रहना पड़ेगा।

➲ जिला/इकाई स्तर पर चयनित छात्र-छात्रा खिलाड़ी यदि प्रशिक्षण शिविर में बिना किसी उपयुक्त कारण के उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें आगामी सत्र की प्रतियोगिता के लिए निष्कासित किया जा सकेगा। इस प्रकार का निर्णय देने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सक्षम होंगे।

➲ प्रत्येक खेल में शिविर का आयोजन कम से कम 5 दिन एवं अधिक से अधिक 7 दिन सम्बन्धित खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निश्चित रूप से आयोजित किया जावे। शिविर तिथि एवं स्थान का अन्तिम निर्धारण नियंत्रण अधिकारी करेंगे।

➲ स्थानीय खिलाड़ियों से जो नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे, रुपया 6/- प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन की दर से शिविर अवधि में अतिरिक्त पौष्टिक आहार हेतु देय होगा। जो सम्बन्धित शाला वहन करेगी।

➲ प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय खिलाड़ियों को अल्पाहार देने हेतु रुपये 6/- प्रति मैच सम्बन्धित विद्यालय द्वारा देय होगा।

➲ मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग कम लीग प्रणाली खिलाये जाये और दल बराबर रह जायें तो प्राप्त गोल सैट के औसत को आधार मान कर टाइ तोड़ी जाए। गोल स्कोर सैट का तात्पर्य यह है कि जिस दल के पक्ष में जितने गोल हुए उनमें से उसी दल में विपक्ष में हुए गोल का औसत निकाल कर टाई तोड़ी जाए यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्यक गोल स्कोर सैट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए। अगर इसमें भी दोनों टीम बराबर हो तो पुनः दोनों टीमों को मैच खिलाया जायेगा। लीग प्रणाली में खेले जाने वाले मैचों में विजेता दल को 3 अंक बराबर रहने पर 1-1 अंक व हारने पर दल को 0 दिये जायेंगे।

➲ प्रत्येक खेल में तृतीय स्थान के लिए सेमी फाईनल में हारने वाले दलों का मैच (हाई लाईन फाईनल) होगा यह नियम छात्र-छात्राओं दोनों में लागू होगा।

➲ खेल विशेष का प्रशिक्षण शिविर उसी विद्यालय में आयोजित होगा जहाँ पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं, विशेष परिस्थिति में स्थान परिवर्तन की अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

➲ खेलों में राज्य स्तरीय/जिला/इकाई स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय विजेता दल के प्रत्येक खिलाड़ी को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र दिये जावेंगे। तृतीय स्थान पाने वाले दल के प्रत्येक खिलाड़ी को केवल मैरिट प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा। व्यक्तिगत आईटम में भी प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार व मेरिट प्रमाण-पत्र प्रदान किये जावेंगे एवं तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को केवल मैरिट प्रमाण-पत्र ही दिया जावेगा।

RAJTEACHERS.IN

➲ खेलकूद पोशाक पर व्यय की जाने वाली राशि आधी छात्र कोष से देय होगी व आधी राशि छात्र स्वयं वहन करेगा।

➲ प्रतियोगिता शिविर अवधि के दौरान किसी खिलाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्राथमिक चिकित्सा व्यय की राशि शिविराधिपति/दलाधिपति द्वारा प्रमाणित चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित शाला वहन करेगी।

➲ एथेलेटिक्स एवं तैराकी प्रतियोगिता में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाला खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा।

➲ जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ी को देय दैनिक भत्ते की राशि 35 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी के हिसाब से देय होगा।

➲ टेबिल टेनिस एवं बैडमिन्टन में दलीय स्पर्धा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का भी आयोजन करवाया जावेगा। 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु टेबिल टेनिस/बैडमिन्टन की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के तीन खिलाड़ी एवं सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के पांच खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेंगे। अन्य दलों से पूर्व की भांति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा।

➲ समस्त प्रतियोगिता में फेडरेशन के नवीनतम नियम लागू होंगे किन्तु विभागीय नियमों की अनदेखी न हो। प्रतियोगिता विभागीय निर्देशिका 1985 एवं उसमें समय-समय पर हुए संशोधन के आधार पर आयोजित होगी।

➲ जिला स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं छात्र वर्ग में इस खेल विशेष में कम से कम 4 तथा छात्र-छात्रा वर्ग में कम से कम दो दलों का भाग लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित न्यूनतम संख्या में दल जिला स्तर पर भाग नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सम्पन्न करवाकर सम्भागियों को प्रमाण पत्र दे दिये जायें किन्तु जिले की टीम उस वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु नहीं भेजी जावें।

RAJTEACHERS.IN

एथेलेटिक्स- 400 मी. ट्रैक की बनावट

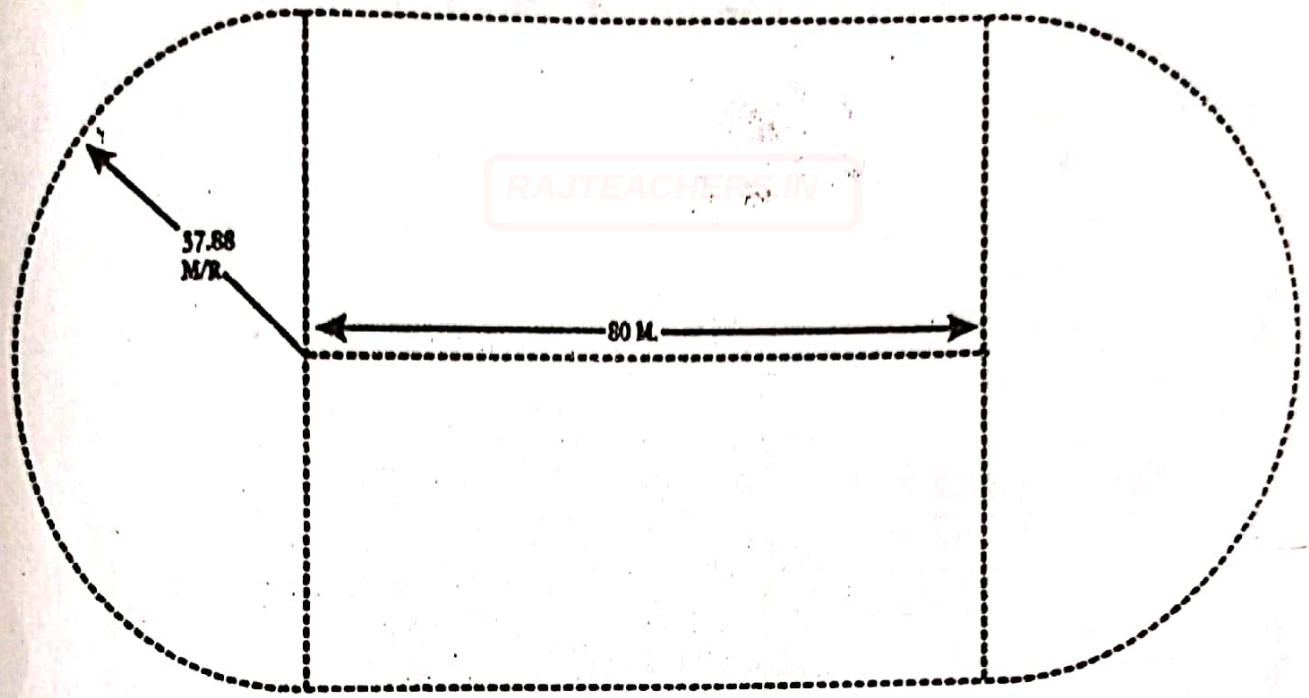

400 मी. ट्रैक की बनावट		200 मी. ट्रैक की बनावट	
O/S (स्टेट)	M/R (मार्किंग व्यास)	O/S (स्टेट)	M/R (मार्किंग व्यास)
75 मीटर	39.47 मीटर	37.50 मीटर	19.59 मीटर
80 मीटर	37.88 मीटर	40 मीटर	18.79 मीटर
85 मीटर	36.29 मीटर	42.5 मीटर	18.00 मीटर
90 मीटर	34.70 मीटर	45 मीटर	17.20 मीटर
95 मीटर	33.11 मीटर	47.5 मीटर	16.40 मीटर
100 मीटर	31.52 मीटर	50 मीटर	15.61 मीटर

बाधा दौड़

नाम इवेन्टस	ऊँचाई	शुरुआत रेखा से पहली बाधा का अन्तर	दो बाधाओं में अन्तर	अन्तिम रेखा का अन्तर	कुल बाधा
110 मी. पुरुष	1.067 मी.	13.72 मी.	9.14 मी.	14.02 मी.	10
100 मी. पुरुष	99 सेमी.	13 मी.	8.5 मी.	10.50 मी.	10
100 मी. महिला	84 सेमी.	13 मी.	8.5 मी.	10.50 मी.	10
80 मी. पुरुष	84 सेमी.	12 मी.	8 मी.	12 मी.	8
80 मी. महिला	76 सेमी.	12 मी.	8 मी.	12 मी.	8
400 मी. पुरुष	91 सेमी.	45 मी.	35 मी.	40 मी.	10
400 मी. महिला	76 सेमी.	45 मी.	35 मी.	40 मी.	10

RAJTEACHERS.IN

1.22 मीटर (4 फुट) चौड़ी लेनों के लिए स्टैगर्स

लेन	200 मी. के स्टैगर्ज	400 मी. के स्टैगर्ज	800 मी. के स्टैगर्ज (200 × डी.डी.)
प्रथम	0.0 मी.	0.0 मी.	0.0 मी.
द्वितीय	3.52 मी.	7.04 मी.	3.53 मी.
तृतीय	7.35 मी.	14.70 मी.	7.38 मी.
चतुर्थ	11.18 मी.	22.37 मी.	11.26 मी.
पंचम	15.02 मी.	30.04 मी.	15.16 मी.
षष्टम	18.85 मी.	37.71 मी.	19.08 मी.
सप्तम	22.69 मी.	45.38 मी.	23.02 मी.
अष्टम	26.52 मी.	53.05 मी.	26.97 मी.